

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ... बयाना

रामलाल बनाम गोपीचन्दवगै० किस्म

मुकदमा ... दावा 53, 188 आर टी एक्ट नं. १०१२५ सन् २०२५

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
27.05.24	<p>दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रातिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 26.06.2024 को पेश हो।</p> <p>26/6/24 पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/6/24 रीडर डॉ. एस.डी.एम.</p> <p>24/6/24 पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/6/24 रीडर डॉ. एस.डी.एम.</p> <p>17/12/24 पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/12/24 रीडर डॉ. एस.डी.एम.</p>	
31/3/25	<p>उपरोक्त प्रमाणों की समीक्षा के बाद अदालत को पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/3/25 को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/3/25 रीडर डॉ. एस.डी.एम.</p>	

30/6/25 कि लादी उपरोक्त प्रमाणों की समीक्षा के बाद अदालत को पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/6/25 रीडर डॉ. एस.डी.एम.

11/8/25 - बकुलाप उज्ज्वल रस कांडोम
पारलम रस उर पाठगत बुद्धिमान
उर प्रमाणित 10/11/25
पुनः खारि

10/11/25 प्रकरण पेय उका प्रकण के लक्ष्यवादी
व लवंत वादी अनुवा न्यायलय के
बाए-बाए काका लगाये जाने उपरान्त
की कोई उपर नहीं

अतः प्रकरण इली लर पर अरुण
एजिरी अरुण पेयवा के खारिज किया
जाता है परापली केवल शुभार शुभार
नम्बर के कम है बाए-वमकील
दाखिल दस्तर है

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, mostly illegible.]